

रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ का कार्यालय

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर
नियुक्ति

इस कार्यालय के नोट संख्या ए/47921/एमटीएस/डीपीसी-20/मुप्रअ/कार्मिक-1(बी) दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के संदर्भ में।

2. शैक्षिक रूप से योग्य निम्नलिखित बहु कार्य कर्मचारियों (एमटीएस) को सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कनिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने लिखे कार्यालयों में वर्तमान रिक्त स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	कार्यालय	
			से	में
1	ओंकार सिंह	01.05.1971	ए. जी.	नौ. से. मु.
2	राम चंद्र	05.07.1971	नौ. से. मु.	नौ. से. मु.
3	योगेन्द्र राय	01.01.1970	मु. प्र. अ.	मु. प्र. अ.
4	ओम दत्त	15.08.1971	ए. जी.	ए. जी.
5	करतार सिंह	15.05.1970	नौ. से. मु.	वा. से. मु.
6	सुभाष चंद	03.03.1973	क्यू. एम. जी	डी.जी.ए.एफ.एम.एस.
7	दिनेश कुमार	31.07.1973	मु. प्र. अ.	वा. से. मु.
8	राकेश कुमार	05.02.1975	क्यू. एम. जी	नौ. से. मु.
9	सुरेन्द्र सिंह नेगी	08.06.1976	आई. डी. एस.	डी.पी.एल एंड सी
10	मूल चंद खटीक	26.01.1975	वा. से. मु.	मु. प्र. अ.
11	राजेश कुमार	09.01.1978	नौ. से. मु.	नौ. से. मु.
12	अनिल जोशी	31.01.1973	नौ. से. मु.	नौ. से. मु.
13	राज कुमार	06.11.1974	मु. प्र. अ.	मु. प्र. अ.
14	नरेन्द्र कुमार	07.03.1976	मु. प्र. अ.	मु. प्र. अ.
15	सुधीर कुमार	01.08.1976	नौ. से. मु.	डी.जी.क्यू.ए.
16	जहांगीर	16.12.1978	एस. एफ. एल	एन.डी.सी.

गोपाल

3. उपरोक्त कर्मचारियों की कनिष्ठ सचिवालय सहायक पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है:-

(क) वे दो वर्षों के लिए परखावधि पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार इस अवधि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।

(ख) उन्हें कर्मचारी चयन आयोग अथवा गृह मंत्रालय के हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तीर्ण करनी होगी। जब तक वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते अथवा उन्हें टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें कोई वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी तथा वे परखावधि पर ही रहेंगे।

(ग) कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर उनकी नियुक्ति के उपरान्त वे सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के लिपिकों पर लागू होने वाले नियमों/उप नियमों के द्वारा शासित होंगे।

4. यह आदेश 01 जनवरी 2020 से या उच्च पद पर उपरोक्त लिखित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, से लागू होगा।

5. कार्यभार ग्रहण/मुक्ति की रिपोर्ट सभी संबंधित कार्यालयों को अवश्य भेजी जाए।


(के.वी.एन.वी गोपाल शर्मा)

प्र० अ०, मु० प्र० अ०/कार्मिक-1(बी)

31 दिसम्बर 2019

संबंधित सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों के समन्वय अनुभाग

मुप्रअ कार्यालय के संबंधित प्रशासन अनुभाग

प्रतिलिपि :-

निदेशक (मा० सं०) के निजी सचिव

निदेशक (अनु. स. क. एवं प्रशि.) के वैयक्तिक सहायक

उप मुख्य प्रशासन अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक

मुप्रअ/वा.का.मूरि.क. (का-1)कक्ष मुप्रअ/वा.का.मूरि.क. (का-2)कक्ष

मुप्रअ/कार्मिक-2(ब) संबंधित कार्मिक सूचना पट्ट